BA(H) Part -I, Paper -II

Dr. Gautam kumar
Guest Teacher
Department of Political Science,
A.N.D College, Shahpur Patory, Sam.

गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक विचार

गोखले के राजनीतिक विचार निम्न प्रकार हैं : -

1. उदारवाद में प्रगाढ़ विश्वास - उदारवादी भावना से ओतप्रोत होने के कारण वे संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग अपनाकर भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता है। वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा(Western Education) और यूरोपीय राजनैतिक संस्थाओं का व्यापक प्रयोग कर सकता है। वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा और यूरोपीय राजनैतिक संस्थाओं का व्यापक प्रयोग करना चाहते थे। वे भारत और इंग्लैण्ड के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना चाहते थे ताकि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रतिनिधि शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। यद्यपि वे भारतीयों के राजनैतिक विशेषाधिकारों की पूर्ति के इच्छुक थे, लेकिन साथ ही वे यह जानते थे कि अंग्रेज इतनी आसानी से भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए वे क्रमिक विकास पर बल देते थे। वे एक यथार्थ उदारवादी के रूप में वही करना चाहते थे, जो संभव था। यद्यपि उनमें देश प्रेम और उत्साह की कमी नहीं थी, लेकिन देश की तात्कालिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वे अधिक उग्र विचार या कार्यक्रम अपनाते।

2. स्वशासन की धारणा - गोखले क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में विश्वास रखते थे लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। गोखले का मानना था कि ब्रिटिश शासन के कारण प्रशासन में जो आर्थिक एवं अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं उनका निराकरण स्वशासन से हो सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि, "ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते-करते उसे वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों

का प्रबंधन स्वयं करने देना।" उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत "अधिराज्य" की स्थिति को प्राप्त करना था। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या "अधिराज्य की स्थिति" उनका दूरगामी लक्ष्य था तत्कालिक लक्ष्य नहीं।

3. सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध - गोपाल कृष्ण गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। उनका मानना था कि अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती है। गोखले की मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और जनता के कष्टों को बढ़ाता है। प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए गोखले ने कई अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। गोखले स्थानीय स्वशासन को बाह्म नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहते थे। वे केन्द्रीय सरकार को प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, आबकारी, डाक-तार, रेल तथा कर एवं व्यवस्थापन का अधिकार सौंपकर अन्य विभागों का दायित्व प्रांतीय सरकारों को सौंपने के पक्ष में थे। वे स्थानीय स्वशासन (Local self-government) को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में थे। वे पंचायती राज (Panchayati Raj) व्यवस्था की पुनः स्थापना के पक्ष में थे तथा नगरपालिकाओं (Municipality) के स्वतंत्र निर्वाचन कराये जाने के पक्ष में थे। वे जिला बोर्डों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढाना चाहते थे।

4. सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास - गोपाल कृष्ण गोखले भारत को नैतिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने देश के सभी जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों के बीच एकता को आवश्यक मानते थे। वे हिंदू-मुस्लिम एकता को भारत के लिए सबसे अधिक आवश्यक तथा कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए दो पृथक प्रजातियां तथा संप्रदाय हो सकते हैं लेकिन राजनीति के लिए सब की दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर ही केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यक होने और शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े हुए होने के कारण हिंदुओं का यह विशेष दायित्व है कि विश्व में राष्ट्रीयता का प्रभाव विकसित करने में अपने मुसलमान भाइयों के सहायक बने। गोपाल कृष्ण गोखले मुस्लिम जाति के विशेष हित के लिए कई शैक्षणिक कार्य भी किये। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित "भारत सेवक संघ" का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था।

5. स्वदेशी का समर्थन - गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन

किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को उच्च कोटि का देशभक्ति तथा पूर्ण आर्थिक आंदोलन बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ-साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन सिस्टम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय में कभी भी प्रेरित किया है, इसमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। गोखले ने हथकरघा उद्योग का पुनरुत्थान करने पर विशेष बल दिया।

6. मानव अधिकार तथा स्वतंत्रता के समर्थक - गोपाल कृष्ण गोखले मानव अधिकार तथा व्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थक थे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने सन् 1889 में ऑफिसियल सीक्रेटस एक्ट का विरोध किया। इस अधिनियम द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को कुचलने हेतु जो अधिकार ब्रिटिश शासन ने ग्रहण कर लिया था, वे इससे काफी क्षुब्ध थे। गोखले का मानना था कि निरंकुश तथा दमनकारी कानूनों के माध्यम से व्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमणकारी शासकीय कार्य-व्यवहार लोकहित तथा जनमानस पर अवांछित प्रभाव डालता है तथा उन्हें उनका उल्लंघन करने हेतु स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहित करता है। उनका मानना था कि जो सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होती है वह हमेशा संकटों से गिरी होती है। उनका कहना था कि जो अधिनियम भारतीय जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को उसकी संवेदनहीनता को अभिव्यक्त करता है वह उसको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे साथ ही उसका पूर्णरूपेण विरोध भी करेंगे। वह ऐसे अधिनियम के समर्थक थे जिसमें मानव अधिकार और स्वतंत्रता हो।

7. संवैधानिक साधनों में आस्था - सामाजिक परिवर्तन अथवा सामाजिक सुधारों के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुख्यतः दो साधनों का प्रयोग किया जाता है। (I) संवैधानिक साधन और (ii) असंवैधानिक साधन। अपने उदारवादी निष्ठाओं और मान्यताओं के कारण गोखले शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों के पक्षधर थे। वे इन्हीं साधनों के माध्यम से भारत के लिए राजनीतिक सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। वे राजनीतिक सुधार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शांतिपूर्ण एवं नैतिकता आधारित आग्रह,तथ्यों एवं रचनात्मक आलोचनाओं का मार्ग अपनाया। वे ब्रिटिश शासकों को पराजित नहीं, उसका हृदय परिवर्तन करना चाहते थे ताकि वे भारतीयों की राजनीतिक सुधार की मांग को विवेकपूर्ण मांग मानकर स्वेच्छा से उन्हें क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो जाएं। उनका मानना था कि स्वशासन के लक्ष्य का मार्ग शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से ही संभव है। उनके द्वारा अपनाए गए मार्ग, संविधानवाद का मार्ग तत्कालीन आवश्यकताओं पर आधारित था।

8. बहिष्कार की राजनीति का विरोध –गोखले ने बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया। शासन से असहयोग(Non-cooperation) कर देश की उन्नति का मार्ग तैयार करना उन्हें असंभव प्रतीत होता था। बहिष्कार की नीति से स्वदेशी का थोड़ा बहुत लाभ हो जाय किन्तु इसे स्थायी नीति के रूप में स्वीकार करने का अर्थ होगा दूसरों को हानि पहुँचायी जाय चाहे स्वयं को उससे कितनी ही हानि क्यों न हो जाय। उनकी यह धारणा थी कि बहिष्कार की नीति द्वारा विदेशी राजनीतिक नियंत्रण में कमी नहीं आ सकती। स्कूलों व कॉलेजों के बहिष्कार से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति धीमी होगी। सरकारी नौकरियों का बहिष्कार भी सफल हो सकता है जबकि सरकारी काम के लिए एक भी व्यक्ति अपने आपको प्रस्तुत न करे। लेकिन जहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इतनी अधिक हो वहाँ नौकरियों का बहिष्कार सफल नहीं हो सकता।विधान परिषदों तथा नगरपालिकाओं का बहिष्कार भी उचित नहीं है, क्योंकि अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो नये चुनाव होने पर सदस्यता के लिए लालायित रहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक राजनीतिक कार्यक्रम चलाना ही चाहते हैं तो उन्हें पूर्ण बहिष्कार के स्थान पर, कर न देने का आंदोलन चलाना चाहिए। कर न देने का आंदोलन, प्रत्येक आंदोलनकारी को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी बनाता है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर निष्क्रिय प्रतिरोध का और कोई उपाय नहीं है।

9. ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान – गोखले भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। वे अंग्रेजी राज के प्रति इसलिए निष्ठावान नहीं थे कि वह विदेशी शासन था, बल्कि इसलिए निष्ठा रखते थे कि वह व्यवस्थित शासन था। गोखले अव्यवस्था अथवा अराजकता के विरोधी थे। वे शासन को कमजोर बनाने वाले किसी भी कार्य के लिए सहमत नहीं थे। वे स्वामिभक्ति के वशीभूत होकर शासन की सदैव रक्षा तथा सहायता करने के पक्षपाती थे।
वे ब्रिटिश जनमत तथा भारत के अंग्रेजी शासन को भारत के विकास का सहभागी मानते थे। वे भारत में अंग्रेजी शासन के लाभ को विस्मृत कर सुधारों की प्रक्रिया को त्यागना पसंद नहीं करते थे। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए वे क्रमिक विकास पर बल देते थे।